न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 161/2016

1 ओमप्रकाश पुत्र जुगलकिशोर जाति महाजन निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र कुमार पुत्र जुगलकिशोर।
2 सुनिल कुमार पुत्र जुगलकिशोर।
3 आंची देवी पत्नी जुगलकिशोर।
4 भंवरी देवी पत्नी रामस्वरूप।
5 सुभाष पुत्र रामस्वरूप।
6 पंकज पुत्र रामस्वरूप।
7 उषा पुत्री रामस्वरूप।
8 निशा पुत्री रामस्वरूप।
9 नमिता पुत्री रामस्वरूप समस्त जाति महाजन निवासीगण सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10 सुरेश कुमार पुत्र नागरमल।
11 प्रियंका पुत्री शीशराम समस्त जाति जाट निवासीगण आराम की ढ़ाणी तन सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
12 रिलायन्स मोबाईल फोन टॉवर सौंथली जरिये प्रतिनिधि सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.05.2016
मुकदमा नम्बर 05/2012 उनवानी सरकार
बनाम ओमप्रकाश आदि

उपस्थिति :

1. श्री सत्येन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांकः— 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार नवलगढ़ ने आवेदन अन्तर्गत धारा 177 प्रस्तुत कर कथन किया है कि अनावेदकगण संख्या 1 ने राजस्थान सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 0.17 हैक्टेयर भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ काम में लेते हुए रिलायन्स मोबाईल फोन टॉवर कम्पनी को किराये पर देकर कृषि भूमि में मोबाईल टॉवर का निर्माण करवा दिया गया है और उक्त भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जिसकी किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं की है। मनमर्जी मुताबिक भूमि की किस्म परिवर्तित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकार की शर्तो का खुला उल्लंघन किया गया है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में अनावेदक संख्या 1 लगायत 8 को उपरोक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वर्णित भूमि की खातेदारी से बेदखल कर भूमि को राज्य सरकार के हक में दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इस आवेदन पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु महालेखाकार का निरीक्षण के यहां चालान संख्या 350 दिनांक 29.3.2012 द्वारा 13940 रूपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में इन तथ्यों पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अनावेदकगण संख्या 1 ने राजस्थान सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 0.17 हैक्टेयर भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ काम में लेते हुए रिलायन्स मोबाईल फोन टॉवर कम्पनी को किराये पर देकर कृषि भूमि में मोबाईल टॉवर का निर्माण करवा दिया गया है और उक्त भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जिसकी किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं की है। मनमर्जी मुताबिक भूमि की किस्म परिवर्तित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकार की शर्तो का खुला उल्लंघन किया गया है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में अनावेदक संख्या 1 लगायत 8 को उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी से बेदखल कर भूमि को राज्य सरकार के हक में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु महालेखाकार का निरीक्षण के यहां चालान संख्या 350 दिनांक 29.3.2012 द्वारा 13940 रूपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में इन तथ्यों पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली अनावेदक संख्या 5 व 6 के कायम मुकाम हेतु नियत चल रही थी विचारण न्यायालय ने कायम मुकाम की कार्यवाही किये बगैर ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर